उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 192/2023–24 दिनांक : 27.10.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विनय पाण्डे पुत्र श्री हरीश चन्द्र, परिवादी
ग्राम उमराखुर्द, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री विनय पाण्डे पुत्र श्री हरीश चन्द्र की यह शिकायत दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH6K6101176399 (01 किलोवाट घरेलू) को दिनांक 17.01.2023 को स्थायी विच्छेदन करा दिया गया था। विच्छेदन के उपरांत विभाग द्वारा उक्त संयोजन की सिक्योरिटी धनराशि वापिस नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन की सिक्योरिटी धनराशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 17.01.2023 को स्थायी विच्छेदन कराने के उपरान्त विभाग द्वारा उक्त संयोजन से सम्बन्धित जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि रू0 2055.00 का को चैक संख्या–001985 दिनांक 26.10.2023 को जारी कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

उक्त चैक को परिवादी से दूरभाष पर सम्पर्क कर उपलब्ध करा दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थायी विद्युत विच्छेदन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को सिक्योरिटी धनराशि का चैक तत्काल हस्तगत कराए। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

27/10/2023 27/10/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य